Gmail econtent Of Arts <econtentofarts@gmail.com>

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty(C T B T)M A(2ndSemester)Anjani Kumar Ghosh, Political Science.

1 message

ANJANI GHOSH <anjanighosh51@gmail.com> Wed, Sep 23, 2020 at 7:45 AM
To: econtentofarts@gmail.com

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि

हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO) ने भारत को 'पर्यवेक्षक' का दर्जा देने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (IMS) डाटा तक पहुंच मुहैया कराने की पेशकश की है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन के कार्यकारी सचिव ने कहा कि संगठन भारत से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) को अनुमोदित करने की उम्मीद नहीं कर रहा है लेकिन भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का अवसर देना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।

सीटीबीटीओ अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (IMS) का कार्यान्वयन करता है। इसके अलावा यह लगातार परमाणु विस्फोटों के सन्दर्भ में विश्व की निगरानी करता है और अपने सदस्य देशों के साथ निष्कर्ष साझा करता है। मौजूदा समय में आइएमएस के पास 89 देशों में फैले 337 केन्द्र है।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि वर्ष 1996 में प्रस्तुत की गई, जो परमाणु अप्रसार संधि की पूरक है। इस संधि में परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई। सीटीबीटी से संबंधित कुछ प्रावधानों का वर्णन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

- संधि के तहत भूमिगत, जल और आकाश में परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित किया गया है।
- संधि में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- विदित हो कि वर्ष 2017 में संयुत्तफ़ राष्ट्र ने इस संधि के नए स्वरूप को अपनाया, जो परमाणु हथियारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण, अधिग्रहण, संग्रहण व तैनाती को अवैध करार देती है।
- संधि में अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र के निर्माण की भी व्यवस्था की गयी है।

वर्तमान में 183 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनमें से 164 देशों ने इस संधि का अनुसमर्थन भी कर दिया है। इस संधि में यह भी प्रावधान था कि तत्कालीन वे 44 देश, जिनके पास किसी भी रूप में परमाणु हथियार या परमाणु रिएक्टर अनुसंधान की सुविधा है जब वे इस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे, तभी यह संधि लागू होगी।

उल्लेखनीय है कि इन 44 देशों में से अमेरिका, चीन, ईरान, इजराइल, मिस्र समेत पाँच ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर तो कर दिये हैं, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन संबंधित देशों की विधायिकाओं द्वारा नहीं किया गया है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ऐसे देश हैं जिन्होंने न तो इस संधि पर हस्ताक्षर किया है और न ही इसका अनुसमर्थन किया है।

भारत को सीटीबीटी में पर्यवेक्षक का प्रस्ताव क्यों?

भारत को सीटीबीटी में पर्यवेक्षक का प्रस्ताव मिलने के वजहों का वर्णन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

- भारत के परमाणु शक्ति के उपयोग का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है।
- वर्तमान में विश्व में जहाँ कई परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने विध्वंसक हथियारों का निर्माण अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किया है, वहीं भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के उपयोग की धारणा पर बल दिया है।
- परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग न करने की भारत की नीति उसे शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करती है। इसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देश उसे यूरेनियम की आपूर्ति कर रहे हैं। वहीं भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एनपीटी (NPT) पर हस्ताक्षर किए बिना भी एनएसजी (NSG) देशों से ईंधन प्राप्त कर रहा है।
- इसके अलावा भारत विश्व के महत्वपूर्ण समूहों का सदस्य देश भी है जैसे जी-8, जी-27, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन, सार्क, यूरोपीय संघ आदि।
- वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो विश्व के आकर्षण का केन्द्र भी है।
- वर्तमान विश्व समुदाय, भारतीय लोकतंत्र को स्थायी लोकतंत्र की श्रेणी में रखता है जिससे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी है। विश्व में व्याप्त समस्याओं, जैसे-आतंकवाद, पर्यावरणीय समस्या, नशीली दवाओं के व्यापार को हल करने के लिए भारत के महत्व को दुनिया में स्वीकार किया जा रहा हैं, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का कूटनीतिक कद बढ़ा है।
- वर्ष 2000 के बाद अमेरिकी नीति में भारत के प्रति व्यापक परिवर्तन देखा गया। अमेरिका ने अब भारत को अलग-थलग करने की बजाए, भारत को साथ लेकर चलने की नीति अपनाई है।
- अमेरिका की इस परिवर्तित नीति के चलते दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने भारत के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया है।

विश्व में परमाणु हथियारों की स्थिति

आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक दुनियाभर के नौ देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। ये देश- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, भारत, चीन और उत्तर कोरिया हैं।

फेडरेशन ऑफ अमेरिकन की रिपोर्ट के अनुसार शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1986 में दुनिया भर में करीब 70 हजार 300 परमाणु हथियार थे जो 2017 की शुरुआत में लगभग 14 हजार 900 रह गये हैं। उल्लेखनीय है कि 1990 के दशक से इन हथियारों की संख्या में गिरावट आई है। शीत युद्ध sत्म होने के बाद भले ही परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है, लेकिन देखा जाए तो अब भी 14,930 परमाणु हथियार कम नहीं होते हैं।

अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के 1,800 परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर हैं जबकि दुनियाभर के कुल परमाणु हथियारों के 93 फीसदी हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। इस प्रकार रूस और अमेरिका दोनों के जsीरों में लगभग 4,000 से 4,500 परमाणु हथियार हैं।

गौरतलब है कि फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट (एफएएस) की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, रूस और ब्रिटेन अपने परमाणु हथियारों में कमी करे रहे हैं, लेकिन पिछले 25 सालों की तुलना में संख्या में कटौती की गति काफी

धीमी है।

भारत की स्थिति

विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट (World Nuclear Industry Status Report) 2017 से पता चलता है कि परमाणु रिएक्टरों की संख्या के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है।

ज्ञातव्य है कि भारत में 21 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं, जिनसे लगभग 7 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा 11 अन्य रिएक्टरों पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है और इनके सक्रिय होने के बाद 8 हजार मेगावाट अतिरित्तफ़ बिजली का उत्पादन हो सकेगा। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक देश के 25» बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा को प्रयोग में लाया जाए। विदित हो कि भारत अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम में विकास करने के चलते परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं हुआ है।

वर्तमान में भारत स्वदेशी यूरेनियम के अभाव में थोरियम के भंडारों से लाभ प्राप्त करने के लिये परमाणु ईंधन चक्र का विकास कर रहा है, जिसमें उसने काफी हद तक सफलता भी पायी है। वर्तमान में भारत के पास ऐसे सक्षम रॉकेट और मिसाइलें मौजूद हैं जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम हैं।

सीटीबीटी और भारत

भारत को परमाणु परीक्षणों के चलते विश्व में निंदा का शिकार होना पड़ा था, साथ ही भारत पर प्रतिबंध भी लगाया गया, लेकिन भारी दबाव के बावजूद भी वर्तमान में भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Test Ban Traty - CTBT), पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे भारत ने निम्न ठोस तर्क प्रस्तुत किए हैं-

- भारत का तर्क है कि यह संधि अपने वर्तमान स्वरूप में भेदभावपूर्ण, खामियों से भरी है। दरअसल पांच परमाणु हथियार-सम्पन्न देशों द्वारा सभी परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने के संबंध में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि भारत ने दस वर्षीय समय-सीमा का सुझाव दिया था।
- भारत के अनुसार, तकनीकी रूप में यह संधि कामयाब नहीं है, क्योंकि विकसित देशों ने कम्प्यूटर सिमुलेशन तकनीक का विकास कर लिया है, जिससे उन्हें परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए यह संधि मूलतः विकासशील देशों को परमाणु तकनीक से वंचित करने का प्रयत्न है।
- संधि में निहित 'इन्ट्री इन द फोर्स' (Entry into Force) का प्रावधान राष्ट्रों की संप्रभुता की संकल्पना के विरूद्ध है, क्योंकि इसके अंतर्गत यह कहा गया कि व्यापक परमाणु परीक्षण संधि तभी लागू होगी, जब वे 44 देश इस पर हस्ताक्षर करेंगे जिनके पास परमाणु अनुसंधान की सुविधा है।
- परमाणु अप्रसार का दायरा अब और भी व्यापक हो गया है। इसलिए सीटीवीटी पर हस्ताक्षर करने का अभिप्राय, एमटीसीआर और एफएमसीटी (Fissile Material cut-off Tveaty) पर हस्ताक्षर करना होगा।
- भारत का यह भी तर्क है कि व्यापक परीक्षण निषेध संधि को केवल परमाणु क्षेत्र तक सीमित क्यों रखा गया है? इसे रासायनिक एवं भौतिकी व अन्य परीक्षणों के क्षेत्र में क्यों नहीं विस्तार दिया जाता है? ऐसे में यह संधि 'परमाणु अप्रसार संधि' का पर्याय बन जाती है।
- भारत ने इस संधि की सार्वभौमिक नाभिकीय निःस्त्रीकरण की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में कल्पना की थी जिसमें एक समयबद्ध रूपरेखा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्णतः नष्ट होने का मार्ग प्रशस्त हो

सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है।

- भारत में विपक्षी दलों ने समय-समय पर सार्वभौमिक और पूर्ण परमाणु निःस्त्रीकरण पर बल दिया है जबकि मौजूदा सीटीबीटी संधि पूर्ण निःस्त्रीकरण को संबोधित नहीं करती है।
- यह संधि परमाणु विस्फोटों के परीक्षण को बंद करने के साथ परमाणु हथियारों के गुणात्मक विकास और उनके परिष्करण को अन्य माध्यमों से भी रोकती है।
- इस संधि को अपनाने से भारत अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण और विकास करने की संभावना छोड़ देगा जबकि चीन एनपीटी के अनुसार अपने शस्त्रगार को बनाए रखने में सक्षम होगा।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की सीमाएँ

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की सीमाओं को निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- पांच परमाणु हथियार-सम्पन्न देशों को स्पष्ट रूप से लाभ की स्थिति में रखा गया है क्योंकि संधि से अलग होने की स्थिति में भी वे अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर सकते हैं।
- अधःविवेचनात्मक परीक्षणों (subcritical tests) को बहुत अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तथा संधि के प्रभावी होने के बाद उसका उल्लंघन करने वाले सदस्यों को दण्डित करने की प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है।
- सीटीबीटी के दायरे में केवल विस्फोटक परीक्षणों पर ही प्रतिबन्ध लगाये जाने की बात शामिल की गयी है, जबकि सब-क्रिटिकल टेस्ट, सिम्यूलेशन टेस्ट जैसे गैर-विस्फोटक परीक्षणों को इसके क्षेत्र में नहीं रखा गया है।
- सीटीबीटी के प्रारूप में हमेशा के लिए सभी तरह के परमाणु परीक्षण (भूमिगत, समुद्र और वायुमंडल) पर रोक लगाने की व्यवस्था तो है, लेकिन नयी तकनीक और परमाणु अप्रसार संधि के विस्तार ने सीटीबीटी के सन्दर्भ और परिस्थितियों को बदलकर रख दिया है।
- नयी तकनीक की सहायता से अब परमाणु हथियार का विकास और परीक्षण प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटर से बनायी गयी परिस्थितियों में भी किया जा सकता है । इस स्थिति में व्यापक सीटीबीटी का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाता है।

आज विश्व में परमाणु हथियार की बड़ी संख्या रूस और अमेरिका के पास मौजूद है, जबकि यही देश परमाणु हथियारों का विरोध करते हैं। यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाय तो भारत का अस्थिर पड़ोसी पाकिस्तान चिंता का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती भी भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रही है। ऐसे में भारत को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) के संदर्भ में किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए-

1. भारत को शांतिकाल और युद्धकाल दोनों के लिये दो अलग-अलग परमाणु सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।

- 2. 2003 में सामने आयी भारत की परमाणु नीति 1999 में तय हुई थी जिसकी व्यापक समीक्षा करने के पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।
- 3. भारत को यह भी ध्यान देना होगा कि सीटीबीटी संधि परमाणु परीक्षण के खिलाफ कानूनी रूप से बाध्यकारी मानक प्रदान करती है, जो भारत के सुरक्षा व राष्ट्रीय हितों को प्रभावित कर सकती है।